प्रेषक

उपमण्डल अधिकारी (ना0) कम
सक्षम प्राधिकारी, चकबन्दी एवं परियोजना,
नारनौल।

प्रेषित

तहसीलदार नारनौल।

यादी क्रमांक /SDO(C)/HSIIDC दिनांक

विषय :– **अन्तिम स्कीम, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब नारनौल की चकबन्दी का प्रकाशन एवं सम्बन्धित गांवों में मुस्तहरी व मुनादी कराने बारे।**

उपरोक्त विषय पर आपकों लिखा जाता है कि ग्राम बशीरपुर, तलोट, घाटासेर, मुकन्दपुरा, ताजीपुर, शाहपुर अव्वल के पटवारियान को हिदायत करे की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की चकबन्दी करने के लिए साथ संलग्न अन्तिम स्कीम की रोजनामचा वाकयाति में रपट दर्ज करते हुए उपरोक्त गांवों के चौकीदारों से मुस्तहरी व मुनादी कराई जावे। भू–स्वामियों को किसी सार्वजनिक स्थान पर सरपंच व नम्बरदार की हाजरी में स्कीम को पढ़कर सुनाया जाऐ। कार्यवाही उपरान्त रपट रोजनामचा वाकयाति की नकल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

sd/-
उपमण्डल अधिकारी (ना0) कम
सक्षम प्राधिकारी, चकबन्दी एवं परियोजना,
नारनौल।

पृ0 क्रमांक 354 /SDO(C)/HSIIDC दिनांक 04/02/2019

इसकी एक प्रति वरिष्ठ नगर योजनाकार आई.एम.एल.एच. नारनौल की सेवा में भेज कर अनुरोध है कि साथ संलग्न अन्तिम स्कीम चकबन्दी/समेकन मल्टी मॉडल लोजिस्टिक हब नारनौल को दो लोकल हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जावे। समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त इसे अपने विभाग की वैबसाईट पर भी जन–साधारण की जानकारी के लिए डाली जाये।

उपमण्डल अधिकारी (ना0) कम
सक्षम प्राधिकारी, चकबन्दी एवं परियोजना,
नारनौल।

पृ0 क्रमांक /SDO(C)/HSIIDC दिनाक

इसकी एक प्रति खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी नारनौल/निजामपुर को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब नारनौल की चकबन्दी/समेकन अन्तिम स्कीम की प्रति भेज कर हिदायत की जाती है कि सरपंचों के माध्यम से भू–स्वामियों की ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जावे और रेजूलेशन प्रति इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

उपमण्डल अधिकारी (ना0) कम
सक्षम प्राधिकारी, चकबन्दी एवं परियोजना,
नारनौल।

''मल्टी मॉडल लोजिस्टिक हब नारनौल'' हरियाणा परियोजना भूमि की चकबन्दी, (विशिष्ट प्रावधान) अधिनियम, 2017 और नियम 2018 के नियम 3(iii) अनुसार परियोजना भूमि की अन्तिम चकबन्दी स्कीम

पैरा न0 1:– हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र जिला महेन्द्रगढ तहसील नारनौल में हरियाणा सरकार, औद्योगिक एवं वाणिज्य विभाग द्वारा **"मल्टी मॉडल लोजिस्टिक हब"** स्थापित करने व **अन्य औद्योगिक उपयोग हेतु** अधिसूचना संख्या 26/04/2018/4 आई0बी0–I दिनांक 20/4/2018 द्वारा क्रमंश (1) ग्राम बशीरपुर ह0न0 281 का कुल रकबा 4076 कनाल 12 मरला, (2) ग्राम तलोट ह0न0 282 का कुल रकबा 1886 कनाल 11 मरला, (3)ग्राम घाटासेर ह0न0 284 का कुल रकबा 3686 कनाल 4 मरला रकबा **''मल्टी मॉडल लोजिस्टिक हब''** परियोजना के लिए अनुसूचित है और (4) ग्राम शाहपुर अव्वल ह0न0 211 कुल रकबा 56 कनाल 3 मरला, (5) ग्राम ताजीपुर ह0न0 212 कुल रकबा 265 कनाल 2 मरला, (6) ग्राम मुकन्दपुरा ह0न0 215, कुल रकबा 195 कनाल 8 मरला,(7) ग्राम बसीरपुर कुल रकबा 86 कनाल 16 मरला रकबा हब को **NH 148 (B)** से जोडने के लिए सड़क निर्माण हेतू अनुसूचित किया हुआ है। इस प्रकार हब परियोजना और सड़क निर्माण के लिए कुल क्षेत्र 10252 कनाल 16 मरला रकबा औद्योगिक मल्टी मॉडल लोजिस्टिक हब नारनौल के लिए **हरियाणा परियोजना भूमि की चकबन्दी, (विशिष्ट प्रावधान) अधिनियम, 2017 की** धारा 5 में अनुसूचित कराया जा चुका है।

पैरा न0 2:– परियोजना भूमि के रूप में घोषित क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि को 70 प्रतिशत से अधिक हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं सरंचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा सरकार द्वारा खरीदी जा चुकी है। उक्त अधिनियम की **धारा 3** के अनुसार विनिर्दिष्ट भूमि की समेकन/चकबंदी की जानी है। जिस पर **हरियाणा परियोजना भूमि की चकबन्दी, (विशिष्ट प्रावधान) अधिनियम, 2017** लागू होगा।

पैरा न0 3:– परियोजना भूमि के समेकन के कार्य को करने हेतु **हरियाणा परियोजना भूमि की चकबन्दी, (विशिष्ट प्रावधान) अधिनियम, 2017** की धारा 4(1) के अनुसार उपमण्डल अधिकारी (ना) नारनौल को सक्षम प्राधिकारी के रूप में शक्तिंया प्राप्त है और उनको इस कार्य में सहयोग के लिए हल्का पटवारी, हल्का गिरदावर, सर्कल राजस्व अधिकारी, ड्राफ्ट मैन की नियुक्ति की जा चुकी है। सक्षम प्राधिकारी " हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) नियम 2018 के नियम 3 अनुसार शक्तियो, कार्य, कर्तव्य का निर्वाह करेगा।

IJ2

पैरा न0 4:– इस परियोजना की चकबन्दी / समेकन करने के लिए प्रारम्भिक रिकार्ड तैयार किया जाएगा जिसमे गाँव वार इण्डैक्स नम्बरान खसरा, शजरा तजबीजी, परियोजना चकबन्दी खतौनी, फील्डबुक, ततीमाशजरा, रजूलेशन समेकन, पास–बुक तैयार की जाएगी और परियोजना की चकबन्दी / समेकन स्कीम के अनुरूप कार्यवाही अमल में लाई जाऐगी।

पैरा न0 5:– परियोजना की चकबन्दी / समेकन करने के लिऐ निम्नलिखित 15 सदस्यों को मसावर्ती कमेटी में शामिल किया गया है। दिनांक 17.01.2018 को मसावर्ती कमेटी की बैठक में भू–स्वामियों की हाजरी में मसावर्ती कमेटी के सदस्यों बारे बताया गया कि इसमें जन प्रति निधियों को शामिल किया गया है।

1 तहसीलदार एवं सह–शक्तियों चकबन्दी अधिकारी नारनौल
2 श्री रामकुमार वरिष्ठ नगर योजनाकार एच.एस.आई.आई.डी.सी
3 श्री नेतराम वर्मा सेवा निवृत नायब तहसीलदार (चकबन्दी अनुभवी)
4 श्री सुनील कुमार सरपंच ग्राम बसीरपुर,
5 श्री अशोक नम्बरदार ग्राम बसीरपुर
6 श्री. प्रमोद सरपंच ग्राम तलोट,
7 श्री गजान्नद नम्बरदार ग्राम तलोट
8 श्री रविन्द्र सरपंच घाटासेर
9 श्री रमेश कुमार नम्बरदार ग्राम घाटासेर
10 श्रीमती प्रवन्ती देवी सरपंच ग्राम शाहपुर अव्वल
11 श्री उज्जन सिहं नम्बरदार ग्राम शाहपुर अव्वल
12 श्री नवीन सरपंच ग्राम ताजीपुर
13 श्री हवासिहं नम्बरदार ग्राम ताजीपुर
14 श्री राजकुमार सरपंच ग्राम मुकन्दपुरा
15 श्री मनभर नम्बरदार ग्राम मुकन्दपुरा

पैरा न0 6:– (i) **"मल्टी मॉडल लोजिस्टिक हब नारनौल"** परियोजना की कुल भूमि **10252 कनाल 16 मरला** जमीन है जिसमें **प्रथम फेज़–A** जिसमें ग्राम बसीरपुर, तलोट, घाटासेर, का उत्तरी भाग शामिल है। शजरा के अनुसार ग्राम बशीरपुर मुरब्बा न0 34, 35, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89, से सम्बंधित किला नम्बरान जिनका कुल रकबा **4076 कनाल 12 मरला** रकबा, और ग्राम तलोट मुरब्बा न0 3, 14, 15, 16, 17 ,18 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37

JSL

,38, 39, 40, से सम्बंधित किला नम्बरान जिनका कुल रकबा **1886 कनाल 11** मरला रकबा, और ग्राम घाटासेर मुरब्बा 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, से सम्बंधित किला नम्बरान जिनका कुल रकबा **1135 कनाल 2 मरला** रकबा जिनका कुल रकबा 7098 कनाल 5 मरला हब के लिए रिर्जव रहेगा।

(ii) **द्वितिय फ़ेज़–B**' जिसमे ग्राम घाटासेर के **मुरब्बा न0** 16मिन दक्षिण, 17 मिन दक्षिण, 18 मिन दक्षिण, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 50, 51 ,52, 53, 54, 55, 56 से सम्बधित खसरा नम्बरान **कुल रकबा 2551 कनाल 2 मरला है** इस रकबा को तकसीम के समय ग्राम घाटासेर, तलोट, बशीरपुर के उन भू–स्वामियों को जिन्होनें फेज–ए में भूमि विक्रय करने से मना किया है उन्हे दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त हब योजना को जोड़ने के लिए प्रस्तावित 200 फुट चौड़ी सड़क जो हब से NH-148(B) से जोड़ने के लिए ग्राम मुकन्दपुरा, ताजीपुर, शाहपुर अव्वल के भू–स्वामियों ने रकबा विक्रय किया है। और जिन्होने औद्योगिक विभाग को बैय नहीं किया है उन भू–स्वामियों को भी फेज़–बी में रकबा दिया जाएगा।

(iii) सड़क निर्माण क्षेत्र ग्राम शाहपुर अव्वल के मुरब्बा नम्बरान 39, 40, 41, 58, 59 मिन के किला नम्बरान से सम्बधित कुल रकबा **56 कनाल 3 मरला** है।

(iv) सड़क निर्माण क्षेत्र ग्राम ताजीपुर के मुरब्बा नम्बरान 18, 20, 31, 32, 33, 36, 41, 42, 50, 53, 54 मिन के किला नम्बरान से सम्बधित कुल रकबा **265 कनाल 2 मरला** है।

(v) सड़क निर्माण क्षेत्र ग्राम मुकन्दपुरा के मुरब्बा नम्बरान 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 160/1, 166, 207/2, 208/1 मिन के किला नम्बरान से सम्बधित कुल रकबा **195 कनाल 8 मरला** है।

(vi) सड़क निर्माण क्षेत्र ग्राम बशीरपुर के मुरब्बा नम्बरान 74, 75, 83, 84, 291/1, 294/1 मिन के किला नम्बरान से सम्बधित कुल रकबा **86 कनाल 16 मरला** है।

पैरा न0 7:– पैरा न0 7(i) प्रत्येक भू–स्वामी को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा नोटिस दिऐ गऐ है नोटिस के जबाव में जिन्होने भूमि देने पर सहमति प्रकट की है। तो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7(i) के अनुसार राशि अदा की जाऐगी और भू–स्वामी को विभाग के नाम रजिस्ट्री पंजीकृत करवानी होगी। नियमानुसार जिन भू–स्वामियों से भूमि खरीद की गई है उन्हे 30 लाख प्रति एकड़ के विभाग ने अदा किए है के अनुरूप ही राशि की अदायगी की जाएगी।

JSV

(ii):–यदि जबाब में भूमि विक्रय करने पर असहमति प्रकट की है तो उस सुरत में अधिनियम 7(ii) के अनुसार पड़ोसी गाँव घाटासेर के क्षेत्र फेज़–बी में स्कीम में वर्णित पैरा 13(i) के अनुसार तकसीम के समय रकबा दिया जाऐगा।

(iii):–यदि नोटिस के बाद किसी भू–स्वामी ने जबाब नहीं दिया तो यह समझा जाऐगा की वह भू–स्वामी कुछ भी नहीं कहना चाहता, ऐसी सुरत में उसे अधिनियम की धारा 7(ii) के अनुसार रकबा फेज़–बी में स्कीम के पैरा 13(i) के अनुसार तकसीम के समय रकबा दिया जाऐगा।

<u>पैरा न0 8:–</u> फेज़–B का एक शजरा तकसीम/ तजवीजी तैयार किया जाएगा। इस तजवीजी शजरा में ग्राम घाटासेर का क्षेत्र शामिल है जिसमें मुरब्बा नम्बर और खसरा नम्बर लाल स्याई से दर्ज किऐ जाएगे तथा उनकी भुजाओं की लम्बाई–चौड़ाई बकलम (काली) स्याई से लिखा जाऐगा। परियोजना की चकबन्दी करते समय बदले में दी जाने वाली भूमि का ततीमा शजरा तकसीम और उसकी फिल्ड बुक तैयार की जाऐगी।

<u>पैरा न0 9:–</u> परियोजना की चकबन्दी कार्य को पूरा करने के लिए प्रारंम्भिक रिकार्ड, परियोजना खतौनी हालिया जमाबंदियों को ता:तारीख मुकम्मल कर के तैयार की जाऐगी जिसमें जमाबन्दी क्रम को बदस्तुर रखा जाऐगा। दादनी रकबा (दिया जाने वाला) खतौनी हब के खाना कैफियत में बकलम सुर्खी से सादा कनाल मरलो में दर्ज किया जाएगा, जो भू–स्वामियों का हक समझा जाएगा। तकसीम रैजूलेशन प्रत्ये गाँव का लिखा जाएगा और दादनी रकबा जो बकलम सुर्खी दर्ज है, के अनुसार बराबर का रकबा फेज़–B में दिया जाऐगा।

<u>पैरा न0 10:–</u> ग्राम शाहपुर अव्वल, ताजीपुर, मुकन्दपुरा के क्षेत्र में रास्ता/सड़क के साथ विभाग द्वारा भूमि खरीद की गई है उसका अलग–अलग गाँव का तजवीजी शजरा तैयार होगा। इन गाँवों का रकबा जिन भूस्वामियों ने विक्रय करने में असहमति जाहिर की है उनको बदले में बराबर का रकबा **फ़ेज़–B** में दिया जाएगा और परियोजना के लिए प्रस्तावित सड़क के दोनो तरफ का रकबा हरियाण राज्य, औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड के नाम किया जाऐगा।

<u>पैरा न0 11:–</u> **फ़ेज़–A** का कुल रकबा **<u>7098</u>** कनाल **<u>5</u>** मरला चकबन्दी/समेकन करते समय तकसीम में हरियाण राज्य, औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड को दिया जायेगा। फ़ेज़–B' में उन भू–स्वामियों को रकबा चकबन्दी/समेकन के समय दिया जाऐगा जिनकी भूमि फ़ेज़– A' में आती है जो विक्रय करने पर असहमति देगा।

<u>पैरा न0 12:–</u> **फ़ेज–B** में तीनों गाँव के भू–स्वामियों को खतौनी की क्रमांक के अनुसार क्रम को ध्यान में रखते हुए तकसीम किया जाएगा। तकसीम में दिया जाने वाले रकबे की

JSV

मलकियत, खसरा नम्बर उसका रकबा तथा किस्म जमीन सहित नक्शा बनाकर **पास–बुक** के रूप में अवलोकनार्थ दी जायेगी।

पैरा न0 13(i):– चकबन्दी / समेकन के समय गाँव बसीरपुर के भू–स्वामियों को फ़ेज–B के उत्तर–पूर्व दिशा में रकबा तकसीम के समय दिया जाऐगा।

(ii):– ग्राम तलोट के भू–स्वामियों को फ़ेज–B के उत्तर–पश्चिम दिशा में रकबा तकसीम के समय दिया जाऐगा।

(iii):– ग्राम घाटासेर के भू–स्वामियों को फ़ेज–B के दक्षिणी–दिशा में रकबा तकसीम के समय दिया जाऐगा।

(iv):– ग्राम शाहपुर अव्वल, ताजीपुर, मुकन्दपुरा के भू–स्वामियों को ग्राम घाटासेर फ़ेज–B में भूमि तकसीम के समय दी जाएगी।

(v):– तकसीम के दौरान यदि हरियाणा राज्य औद्योगिक विभाग के नाम कोई रकबा फ़ेज–B में तकसीम करने के बाद बचेगा। तो उसे फ़ेज–A के साथ दक्षिण में छोड़ा जाऐगा।

पैरा न0 14:– चकबन्दी / समेकन अधिन कुल रकबा **10252** कनाल **16** मरला पर सभी मालकान का हक खत्म किया जाकर उनको तकसीम के समय उनके हक के अनुसार दिया जाएगा। सरकारी विभागों की भूमि नहर, सड़क और रास्तो का क्षेत्र योजना में शामिल किया जाएगा।

पैरा न0 15:– परियोजना क्षेत्र के चकबन्दी / समेकन प्रकिया के समय प्रत्येक खातेदार (Holding) के रकबा को 3 करम चौड़ा रास्ता दिया जाऐगा, तथा चकबन्दी में कायम सड़क खसरा न0 103 मिन से **फ़ेज–B** को पंचायती रास्तो की भूमि के बदले 6 करम चौड़े रास्ते से जोड़ा जाएगा। किसी भी खातेदार से मुजराई नही की जाऐगी। रास्तों मे प्रयोग भूमि औद्योगिक एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा सरकार की खरीद सुद्दा अराजी में से कटोती / मुजराई की जाऐगी।

पैरा न0 16:– **(i)** मल्टी मॉडल लोजिस्टिक हब नारनौल परियोजना भूमि की चकबन्दी / समेकन भूमि के दौरान किसी भू–स्वामी के खेत में चाह, कोटड़ी / कमरा, मकानात इत्यादि निर्मित किया हुआ पाया जाएगा तो इस प्रकार के Structure की कीमत का आकंल्न् **XEN PWD (B&R) Branch NNL** द्वारा कराया जाएगा। Structure की कीमत के अनुसार औद्यौगिक एवं संरचना विभाग हरियाणा सरकार अदा करेगी।

JK

(ii) यदि किसी भू–स्वामी के खेतो में विकसित खेती या फलदार वृक्ष पाये जाएगे तो उसका मुआवजा कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा आंकलन कराकर हरियाणा सरकार औद्योगिक एवं संरचना विभाग द्वारा अदायगी की जाएगी।

(iii) मल्टी मॉडल लोजिस्टिक हब नारनौल को विकसित करने के लिए यदि कोई धार्मिक स्थान परियोजना से सम्बधित भूमि में पाया जाएगा तो उसे उसी स्थिती में शजरा में कायम किया जाएगा।

पैरा न0 17:– अधिनियम 2017 की धारा 9 और नियम 2018 3(v) के अनुसार तकसीम की कार्यवाही स्कीम के अनुसार की जाऐगी और सक्षम अधिकारी को नियम 4 के अनुसार अन्तिम समेकन स्कीम के आदेश देने का अधिकार है। तकसीम के अनुसार अनुरूप रिकार्ड तैयार करा कर धारा 10 नियम 3(vi) के प्रावधान अनुसार कब्जे तबदील कराये जाऐगे।

पैरा न0 18:– उपर्युक्त की धारा 11 और नियम 7 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी अन्तिम समेकन स्कीम के अनुसार भूमि का इंतकाल संबंधित व्यक्ति या राज्य सरकार या एजेन्सी, जैसी भी स्थिति हो, के पक्ष में करने के लिए अन्तिम समेकन स्कीम संबंधित विभाग को भेजेगा ताकि सम्यक, अनुक्रम में, अधिकारों का नया रिकार्ड तैयार करने के उद्देश्य से राजस्व अभिलेख अद्यतन करेगा।

पैरा न0 19:– कोई भी प्रभावित खातेदार/भू–स्वामी अधिनियम और नियम जो इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा बनाये गये है के अनुसार एतराज करने का अधिकार रखता है एक्ट की धारा 12 और नियम 8 के अनुसार आवेदन कर सकेगा।

उप–मण्डल अधिकारी(नागरिक) एवं
सक्षम प्राधिकारी, चकबन्दी हब परियोजना
नारनौल